HINDI

सभी साथियों को पीपल्स हेल्थ मूवमेंट के जेंडर जस्टिस ग्रुप की तरफ से ज़िंदाबाद,

पीपल्स हेल्थ मूवमेंट भारत के जन स्वास्थ्य अभियान की ही तरह अंतराष्ट्रीय अभियान है | आशा करते है आप सभी ठीक होंगे |

28 सितम्बर को मनाया जाने वाला अंतराष्ट्रीय सुरक्षित गर्भसमापन दिवस नजदीक है| हमने सोचा की पीपल्स हेल्थ मूवमेंट के जेंडर जस्टिस के ग्रुप के लिए यह एक अच्छा मौक़ा है जिसमें हम अपनी "सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण और कानूनी रूप से मंजूर गर्भसमापन की सेवाओं के हक़" की मांग को दोहरा सके| इसके साथ ही हम उन नारीवादी जनसंगठनों के साथ खड़े होंगे जो सभी लड़कियों, महिलाओं, गर्भवती महिलाओं के गर्भसमापन के हक़ के लिए आवाज़ उठा रहे है | 2018 में हमने चौथी जन स्वास्थ्य सभा के बाद यह स्टेटमेंट निकाला था जिसकी सराहना की गयी थी और उससे हमें अन्य संगठनों /अभियानों के साथ खड़े होने में मजबूती मिली.

हर साल होने वाले 5.6 करोड़ गर्भसमापन में 2.5 करोड़ असुरक्षित होते है | इनमें 22000 लड़कियों और महिलाओं की मृत्यु होती है- जो की दुनियाभर में होनी वाली मातृत्व मृत्यु का 8 % है और अन्य 70 लाख महिलाओं को गंभीर या स्थायी नुकसान होता है | इनमें से बहुत मृत्यु और नुकसान ऐसे है जो रोके जा सकते है और उन देशों /राज्यों में होते है जहां के क़ानून गर्भसमापन पे अनेक तरह के प्रतिबन्ध लगाते है | शोध बताते है के गर्भसमापन पे प्रतिबन्ध लगाने से गर्भसमापन कम नहीं होते है, बल्कि असुरक्षित गर्भसमापन को बढ़ावा देते है खासकर के गरीब और वंचित समुदायों की लड़कियों और महिलाओं के लिए (ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑन एबॉर्शन , नैरोबी सबमिट ऑन ICPD25)

पिछले 25 सालों में, अंतराष्ट्रीय मानवाधिकार मूल्यों और लोक स्वास्थ्य की दृष्टि से कुछ सरकारों, स्वास्थ्य प्रदाताओं और जन संगठनों ने महिलाओं और लड़कियों के प्रजनन और यौन स्वास्थ्य एवं अधिकारों के लिए कदम लेने शुरू किये है ; इस दौरान कुछ 50 देशों में गर्भसमापन पे प्रतिबन्ध हटाए गए है | पर साथ ही पिछले कुछ समय में कट्टरपंथी ताकतों द्वारा गर्भसमापन , यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों को कमजोर करने की कोशिशों की जा रही है खासकर के कोविड महामारी और लॉकडाउन के परिपेक्ष्य में| ऐसे में हम जन संगठनों को साथ आने की ज़रुरत है ताकि हम अपनी मांगो को कमजोर न पढ़ने दे |

28 सितम्बर को विभन्न नारीवादी और अन्य मनावाधिकार संगठन अंतराष्ट्रीय सुरक्षित गर्भसमापन दिवस मना रहे है ताकि हम गर्भसमापन के अभाव और इस उपेक्षित मुद्दे को उठा सके जिससे विभिन्न नस्ल, जाति, उम्र , धर्म , वर्ग, डिस्बैलिटी के महिलाओं पर अलग अलग तरह से प्रभाव पड़ता है और यह बताये कि किस तरह से नीतियां गर्भसमापन का अपराधीकरण करती है |

पीपल्स हेल्थ मूवमेंट का जेंडर जस्टिस ग्रुप आपको 28 सितम्बर के 'सुरक्षित गर्भसमापन के अधिकार' अभियान में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता है `जिसमें हम संयुक्त राष्ट्र , जन संगठनों, स्वास्थ्य प्रदाता , निजी क्षेत्र और डोनर संस्थाओं से मांग कर रहे है कि गर्भसमापन (और खुद से किया जाने वाला सुरक्षित गर्भसमापन) को सुरक्षित, कानून रूप से वैध, और सस्ते दरों पर आसानी से उपलब्ध हो | साथ ही यह मांग रखते है कि ऐसे सभी नीतियां और कानून हटाए जाए जो गर्भसमापन पे प्रतिबन्ध लगाती है या उसका अपराधीकरण करती है | (ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑन एबॉर्शन , नैरोबी सबमिट ऑन ICPD25)

इस अभियान के लिए हमारे कुछ मुख्य सुझाव है -

१. गर्भसमापन अधिकारों की मांग के साथ पोस्टर बनाये जाए | इन्हें सोशल मीडिया (फेसबुक, ट्विटर) में डाले| ट्विटर में @PHMglobal @WeAreSama और अपनी संथाओं को टैग करे |

सोशल मीडिया के लिए कुछ मुख्य सन्देश है - सुरक्षित गर्भसमापन को मूलभूत स्वास्थ्य सेवा की मान्यता दी जाए; प्रजनन अधिकार मानवाधिकार है | आने वाले दिनों में हम ऐसे और मैसेज शेयर करेंगे | हैशटैग #SafeAbortion #AbortionRights #PHMGenderJustice का इस्तेमाल करे |

२. सोशल मीडिया पर शेयर करने के लिए छोटी वीडियो बनाये |

३. पैनल डिस्कशन /वेबिनार आयोजित करे | अगर आप पहले से कर रहे तो हमसे लिंक शेयर करे (अगर सब भाग ले सकते है तो)|

४. 28 सितम्बर के अभियान से सम्बंधित मैसेज , पोस्टर , पिक्चर, वीडियो, लिंक अपने देश , संगठनों और दोस्तों में शेयर कीजिये |

इस अभियान के सम्बन्ध में आपके ख़याल और सुझाव सुनने के आशा करते है | कृपया यह ईमेल अपने साथियों के साथ भी शेयर करे |

सरोजिनी, अदसा, दीपा और दीपिका

(पीपल्स हेल्थ मूवमेंट के जेंडर जस्टिस ग्रुप की तरफ से)